



1. B. function and duties of each unit of the office

S.No.	Unit/Section	Function Performed
1.	स्टेनों शाखा	भ्रमण कार्यक्रम दौरा दैनन्दिनी/ दूरभाष पंजी का संधारण/ माननीय मंत्री महोदयों के भ्रमण कार्यक्रम संबंधी/सामान्य प्रशासन समिति जिला पंचायत एवं कृषि स्थाई समिति जिला पंचायत की बैठक तथा गोपनीय चरित्रावलिया।
2.	मुख्य लिपिक शाखा	विभागीय जॉच/ शिकायतों की जॉच / न्यायालयीन प्रकरण / पेंशन प्रकरण / निरिक्षण।
3.	स्थापना शाखा	समस्त अधिकारी/कर्मचारियों एवं अधिनस्थ अधिकारियों की सेवा पुस्तिकाओं का संधारण, स्थानान्तर/पद स्थापना/वेतन वृद्धि/अवकाश स्वीकृति/स्थापना संबंधि कार्य।
4.	लेखा शाखा	बजट/आवंटन/मासिक व्यय पत्रक/केश बुक/यात्रा देयकों का पारित करना/जी0पी0एफ0/जी0आई0एस0/समस्त प्रकार के अग्रिम स्वीकृति एवं भुगतान भविष्य निधि एवं विभागीय भविष्य निधि पास बुकों का संधारण कन्टीनजेंट/कोषालय एवं बैंक से आहरण एवं भुगतान संबंधि कार्य।
5.	स्टोर शाखा	समस्त प्रकार के भण्डार लेखा भौतिक सत्यापन/ वाहनों का रखरखाव/भण्डार सामग्री कय करना/अनुपयोगी सामग्री का अपलेखन आदि भण्डार संबंधि समस्त कार्य।
6.	उर्वरक शाखा	उर्वरक/पौध संरक्षण/बीज गुण नियंत्रण/लायसेंस से संबंधी तथा न्यायालयीन प्रकरण
7.	योजना शाखा	उत्पादन तथा उत्पादकता संबंधी प्रतिवेदन/ आईसोपाम/ गन्ना /आई0सी0डी0पी0/अन्नपूर्णा/सूरजधारा/जैविक खेती/वर्मी कम्पोस्ट आदि समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन।
8.	लघु सिंचाई	ट्रेक्टर/नलकूप/कृषि यांत्रिकी करण /सूचना के अधिकार /सीटीजन चार्टर/स्पिकलर/बायोगैस/ 11 सूत्री योजनाओं को क्रियान्वयन।
9.	पौध संरक्षण	पौध संरक्षण एवं गुण नियंत्रण संबंधि कार्य
10.	ई0पी0 शाखा	कृषि तकनीक प्रचार प्रसार /सूचना प्रौद्योगिकी /कृषि मेला /प्रदर्शनी / कृषि पखवाड़ा/ ग्राम सम्पर्क अभियान/ गोकुल ग्राम तथा कृषि साहित्य का रख रखाव।
11.	प्रक्षेत्र/भूमि संरक्षण शाखा	भूमि संरक्षण /राष्ट्रीय जल ग्रहण परियोजना/प्रक्षेत्र संबंधि कार्य/ मिट्टी परिक्षण /जिला पंचायत साधारण सभा।
12.	आवक/जावक	शासकीय डॉक आवक/जावक।

Work distribution order of each officer U/S 4.1 (b) (ii)

S. No.	Name	Designation	Remuneration					Duties
			वेतन	मंहगाई भत्ता	मकान भाड़ा भत्ता	अन्य भत्ते	कुल योग	
1	श्री आर.एस.यादव	उप संचालक कृषि	12275	8593	—	—	20868	विभागीय योजनाओं का क्रियान्वयन एवं प्रशासनिक नियंत्रण
2	श्री सी.एस.हाड़ा	व.कृ.वि.अ.	8000	5600	200	—	13800	तकनीकी शाखा
3	श्री ए.एस.पवार	व.कृ.वि.अ.	8000	5600	200	—	13800	तकनीकी शाखा
4	श्री आर.पी.निगम	सहाय ग्रेड -2	6375	4463	159	—	10997	मुख्य लिपिक/स्थापना शाखा
5	श्री एम.पी.बथमा	सहाय ग्रेड -2	5375	3763	134	—	9272	लेखा शाखा
6	श्री एस.एस.कात्रे	सहाय ग्रेड -3	3900	2730	98	—	6728	स्टोर शाखा
7	श्री एन.पी.सिंह	ग्रा.कृ.वि.अधि.	7000	4900	175	200	12275	उर्वरक शाखा
8	श्री आर.एस.शर्मा	ग्रा.कृ.वि.अधि.	6875	4813	172	200	12060	ई.पी.ओ./प्रक्षेत्र शाखा
9	श्री ए.एस.चौहान	ग्रा.कृ.वि.अधि.	6125	4288	153	200	10766	भूमि संरक्षण शाखा
10	श्री आर.एस.राठोर	ग्रा.कृ.वि.अधि.	6750	4725	169	200	11844	योजना शाखा
11	श्री डी.के.तिवारी	ग्रा.कृ.वि.अधि.	7000	4900	175	200	12275	आवक/जावक
12	श्री अतरसिंह शिकरवार	वाहन चालक	4460	3122	112	30	7724	वाहन चालक कार्य
13	श्री हरि नारायण राय	वाहन चालक	4460	3122	112	30	7724	वाहन चालक कार्य वर्तमान में जिला पंचायत राजगढ़ में संबद्ध
14	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा	भृत्य	3280	2296	82	30	5688	भृत्य कार्य
15	श्री सुरुर खान	भृत्य	3140	2198	79	30	5447	भृत्य कार्य
16	श्री बद्रीलाल भिलाला	भृत्य	3140	2198	79	30	5447	भृत्य कार्य

3. Decision Making process in graphic form U/S 4.1 (b) (iii)

Initiating the file
Dealing
And the section

Channels
officers handling the
file at each level

Decision making authority

Supervisory Authority

Officer to whom accountable

- 4- A) Time norm, if decided by the organization. *U/S* 4.1 (b) (iv)
 B) Quality Norms, if decided by the organization.
 C) Quantity target, for the office work to be done in the year.

Annual targets decided by Director of Agriculture Bhopal under the instruction's given by Government of M.P.

5. List of Acts, Rules, Regulations Manuals, and Circulars related with the functioning of office constituting the organization. *U/S* 4.1 (b) (v)

Acts - The insecticide Act -1968

 The seed Act 1966

 The essential Commodities Act 1955

Rules- The insecticide Rules - 1971

Regulations-

Manuals-

Circulars

1. insecticide (price stock Display and submission of reports order 1986)
2. fertilizer (control order 1985)
3. The fertilizer (movement of control) order 1973
4. seed (control) order 1983 and seeds (regulation)of India order -1989

6. Statement of various categories of documents held by it or under its control U/S 4.1 (b) (vi)

S.N.	Name of Document	Kind of Document like microfilm, Register, books, Diskette etc.	Nature and Content of Document	Duration of Records
1	नस्ती			
2	पंजी			

नोट:- कार्यालय में अभिलेखों की सूची जिनका संधारण कार्यालय में किया गया है, उसकी सूची पंजी के रूप में कार्यालय में संधारित कर ए.पी.आई.ओ. के पास उपलब्ध है।

7. I. Structure of consultative committees in which public representatives are members including

- Name of the Committee कृषि स्थाई समिति
- Copy of the Orders/Circulars for formation
- Functions कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का अवलोकन एवं क्रियान्वयन हेतु अनुमोदन करना।
- Members 7
- Duties and responsibilities
- Accessibility of minutes for public U/S 4.1(b) (vii)

II Proceedings, Minutes of the Meetings (copy to be made available and be given in the electronic form with hypertext link)

8.

I Name of the Board, Council, Committees etc. including members and their qualifications.(Original text to be given in electronic form) U/S 4.1 (b)(viii)

S.N.	Name of the Body	Name of the members	Qualifications
	कृषि स्थाई समिति	श्री बापू सिंह तँवर (अध्यक्ष)	एम.ए.
		श्री बाला प्रसाद चन्द्रवंशी (सदस्य)	मिडिल
		श्री नन्द किशोर भिलाला (सदस्य)	मिडिल
		श्री कन्हैयालाल चौधरी (सदस्य)	मैट्रिक
		श्रीमति प्रकाशबाई (सदस्य)	मिडिल
		श्रीमति गायत्रीबाई (सदस्य)	प्राईमरी
		श्रीमति मोना सुस्तानी (सदस्य)	एम.ए.
		श्री अमर सिंह कोठार (सदस्य)	मैट्रिक

II Order of the formation.

(Original text to be given in electronic form and to be hyper linked)

Through Jila panchayat Rajgarh .

III Charter/Memorandum of Articles of Association.

(Original text to be given in electronic form and to be hyper linked)

Panchayat Act.

IV Govt. instruction for the way in which meeting will be conducted. (Original text to be given in electronic form and be hyper linked)

Monthly meetings

V Whether open to public or not

Not opened for public persons

VI Availability of the proceedings/minutes of the last meetings (Original text to be given chronologically in electronic form and to be hyper linked)

Proceedings are recorded and file has been maintained in the office.

9. Directory of the officers and employees U/S 4. (ix)

S.No.	Name	Designation	Address & Contact NO., if any
1	श्री आर.एस.यादव	उप संचालक कृषि	शिवजी की छतरी के पासराजगढ़ मो. 9425097753 निवास 07372-255084
2	श्री सी.एस.हाड़ा	व.कृ.वि.अ.	हरिजन थाने के पिछे राजगढ़
3	श्री ए.एस.पवार	व.कृ.वि.अ.	डॉ हेडगेवार कालोनी राजगढ़
4	श्री आर0पी0निगम	सहा0 ग्रेड -2	किला राजगढ़ निवास 07372-255597
5	श्री एम0पी0बथमा	सहा0 ग्रेड -2	बाँसवाड़ा राजगढ़
6	श्री एस0एस0कात्रे	सहा0 ग्रेड -3	महाराष्ट्र समाज कालोनी राजगढ़ निवास 07372-254320
7	श्री आर0एस0शर्मा	ग्रा0 कृ0 वि0 अधि0	न्यू शंकर कालोनी निवास 07372-254624
8	श्री एन.पी.सिंह	ग्रा0 कृ0 वि0 अधि0	गायत्री कालोनी राजगढ़
9	श्री ए0एस0चौहान	ग्रा0 कृ0 वि0 अधि0	तिलक मार्ग राजगढ़
10	श्री आर0एस0राठोर	ग्रा0 कृ0 वि0 अधि0	डॉ. हेडगेवार कालोनी निवास 07372-255573
11	श्री डी0के0तिवारी	ग्रा0 कृ0 वि0 अधि0	करेडी हाउस राजगढ़ मो. 9425179625
12	श्रीअतरसिंह सिकरवार	वाहन चालक	परायण चौक के पास राजगढ़
13	श्री हरिनारायण राय	वाहन चालक	गणेश चौक के पास राजगढ़
14	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा	भृत्य	गंज राजगढ़
15	श्री सुरुर खान	भृत्य	पुरा राजगढ़
16	श्री बद्रीलाल भिलाला	भृत्य	इंगले कालोनी राजगढ़

10- Monthly remuneration and compensation U/S 4.1 (b) (x)

S.N.	Name	Remuneration	compensation
1	श्री आर.एस.यादव	20868	—
2	श्री सी.एस.हाड़ा	13800	—
3	श्री ए.एस.पवार	13800	—
4	श्री आर0पी0निगम	10997	—
5	श्री एम0पी0बथमा	9272	—
6	श्री एस0एस0कात्रे	6728	—
7	श्री एन.पी.सिंह	12275	—
8	श्री आर0एस0शर्मा	12060	—
9	श्री ए0एस0चौहान	10766	—
10	श्री आर0एस0राठोर	11844	—
11	श्री डी0के0तिवारी	12275	—
12	श्रीअतरसिंह शिकरवार	7724	—
13	श्री हरि नारायण राय	7724	—
14	श्री गोपाल कृष्ण शर्मा	5688	—
15	श्री सुरुर खान	5447	—
16	श्री बद्रीलाल भिलाला	5447	—

11- Annual Budget allocation and Expenditure statement (to be linked with Treasury Data Bank) U/S 4.1 (b) (x)

S.N.	Budget Head	Name of work	Year	Allocation	Expenditure
	13-2401-108-0701-927	तिलहन विकास योजना	2006-07	1864000	1331508
	41-2401-108-0702-1896		2006-07	130000	126902
	64-2401-108-0703-1107		2006-07	653000	651822
	15-2401-108-0703-1107		2006-07	210000	136510
	80-2401-0701-927		2006-07	1010000	845115
	52-2401-108-0702-1896		2006-07	44000	35205
	योग		2006-07	3911000	3572062
	13-2401-102-0701-921	दलहन विकास योजना	2006-07	470000	313930
	41-2401-102-0702-1918		2006-07	158000	75656
	64-2401-102-0703-1918		2006-07	336000	277064
	15-2401-102-0703-1918		2006-07	191000	0
	80-2401-102-0701-921		2006-07	311000	65313
	52-2401-102-0702-1918		2006-07	15000	0
	योग		2006-07	1542000	731963
	13-2401-102-0701-6430	एक्सी0मक्का विकास योजना	2006-07	565000	542979
	41-2401-102-0702-5210		2006-07	55000	17278
		योग	2006-07	620000	560257
		योग आइसोपाम	2006-07	6073000	4864282
	13-2401-0801-9185	बीज ग्राम योजना	2006-07	375000	308447
		योग	2006-07	375000	308447
	13-2401-800-0701-7635	आई.सी.डी.पी. मोटा अनाज	2006-07	350000	0
	41-2401-800-0702-7635		2006-07	110000	0
	64-2401-800-0703-7635		2006-07	100000	0
			योग	2006-07	560000
	13-2401-800-0701-7625	केन्द्र प्र0गन्ना विकास योजना	2006-07	52000	0
	41-2401-800-0702-1580		2006-07	25000	0
	64-2401-102-0703-1580		2006-07	15000	0
	80-2401-102-0701-1580		2006-07	5000	0
	52-2401-102-0702-1580		2006-07	5000	0
	15-2401-102-0703-1580		2006-07	2000	0
			योग	2006-07	102000
	13-2401-800-0701-1580	आई.एन.एम.एवं बेलेंस एण्ड इन्ट्रीग्रेटेड यूज आफ फर्टिलाइजर	2006-07	69000	0
	41-2401-800-0702-1580		2006-07	22800	0
	64-2401-102-0703-1580		2006-07	12000	0

	80-2401-102-0701-1580		2006-07	136000	0
	52-2401-102-0702-1580		2006-07	44000	0
	15-2401-102-0703-1580		2006-07	24600	0
		योग	2006-07	308400	0
	64-2401-103-0103-5081	सूरजधारा (राज्य)	2006-07	300000	131476
	52-2401-103-0102-5081	सूरजधारा	2006-07	200000	86022
		योग	2006-07	500000	217498
	41-2401-103-0102-8769	अन्नपूर्णा राज्य	2006-07	200000	26710
	64-2401-103-0103-8769	अन्नपूर्णा राज्य	2006-07	300000	58366
	-	योग	2006-07	500000	85076
	13-2401-800-0701-1580	राष्ट्रीय जल ग्रहण	2006-07	2600000	2600000
		योग	2006-07	2600000	2600000
	13-2401-800-0701-1580	कृषि अभियांत्रिकीय	2006-07	200000	17139
		योग	2006-07	50000	22418
	15-2702-020-103-2791	नलकूप	2006-07	1400000	222000
	52-2702-101-2791	नलकूप	2006-07	1191000	15000
		योग	2006-07	2591000	237000
	45-4402-800-103-3476	माइक्रोमाइनर	2006-07	4617000	2929600
	64-4402-800-0103-3476		2006-07	1000000	867146
		योग	2006-07	5617000	3796746
	41-2401-800-1580	भूजल संवर्धन	2006-07	0	0
	13-2401-800-0701-1580		2006-07	0	0
		योग	2006-07	0	0
	8000-00-10	खेत तालाब योजना	2006-07	1500000	65400
		महायोग	2006-07	20926400	12191588

12 Programmes and beneficiaries U/S 4.1 (b) (xii)

A List of the programmes (in electronic form)

- 1- आई.सी.डी.पी.मोटा अनाज
- 2- सतत गन्ना विकास कार्यक्रम
- 3- राष्ट्रीय जल ग्रहण क्षेत्र विकास
- 4- फार्म मेकेनाईजेशन
- 5- भू-जल संवर्धन
- 6- उर्वरकों का संतुलित उपयोग आईएनएम
- 7- तिलहन विकास योजना
- 8- मक्का विकास योजना
- 9- दलहन विकास योजना
- 10- अन्नपूर्णा
- 11- सूरजधारा

- 12- नलकूप
- 13- माईक्रोमाईनर
- 14- बीज ग्राम योजना
- 15- खेत तालाब योजना

B Norms selection of the beneficiary

इस पुस्तिका में मध्यप्रदेश कृषि विभाग द्वारा वर्ष 2005-2006 में क्रियान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों को दी जाने वाली सुविधाओं का अद्यतन विवरण दिया गया है। समय-समय पर शासन निर्देशानुसार इन सुविधाओं में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिये विभाग के विस्तार अधिकारियों से सतत् सम्पर्क बनाए रखें। योजनाओं में लाभान्वित कृषकों का चयन जन प्रतिनिधि जैसे सरपंच एवं ग्राम पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, की अनुशंसा पर किया जाकर, सूची का अनुमोदन जनपद पंचायत की कृषि समिति के अनुमोदन उपरांत जिला स्तर पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाता है जिसकी जानकारी जिला पंचायत की कृषि स्थाई समिति को देकर सहमति एवं अनुमोदन लिया जाता है।

संचालक कृषि
मध्यप्रदेश

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय
1	तिलहन दलहन एवं मक्का की एकीकृत योजना (आइसोपाम)
2	एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज)
3	मैक्रोमैनेजमेंट सतत् गन्ना विकास योजना
4	(INM) योजना
5	सूरजधारा कार्यक्रम
6	अन्नपूर्णा योजना
7	राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना
8	नलकूप खनन
9	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
10	परकोलेशन टैंक निर्माण
11	राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना
12	कृषक प्रशिक्षण
13	बीज ग्राम योजना
14	खेत तालाब योजना
15	फार्म मेकेनाइजेशन

किसानों को दी जाने वाली सुविधाएं

कार्यक्रम का क्षेत्र प्रजनक बीज खरीदी	1. तिलहन दलहन एवं मक्का की एकीकृत योजना (आइसोपाम) सम्पूर्ण मध्यप्रदेश भारत सरकार द्वारा विभिन्न फसलों के प्रजनक बीज की निर्धारित दर का प्रतिशत अनुदान।
बीज उत्पादन	
अ. आधार बीज उत्पादन	रु. 300 प्रति क्विंटल अनुदान।
ब. प्रमाणित बीज उत्पादन	रु. 300 प्रति क्विंटल अनुदान तथा तिल एवं रामतिल हेतु रु. 500 प्रति क्विंटल अनुदान।
बीज वितरण	
अ. आधार बीज-2 का वितरण	रु. 300 प्रति क्विंटल अनुदान।
ब. प्रमाणित बीज वितरण	कुल कीमत का 30 प्रतिशत या रु. 300 प्रति क्विंटल , जो भी कम हो अनुदान।
बीज मिनीकिट वितरण	बीज मिनीकिट की वास्तविक कीमत का शतप्रतिशत अनुदान
प्रदर्शन	
अ. ब्लाक प्रदर्शन	आदान सामाग्री की कीमत का 50 प्रतिशत या दलहनी फसलों पर अरहर, मूंग, उड़द, काउपी, मोंठ, ग्वार, कुलथी तथा तवड़ा पर रु. 2000, मसूर पर रु. 2200, चना एवं मटर पर रु.2500, राजमा पर अधिकतम रु. 3500 अनुदान।
ब. मूंगफली फसल के लिये पालीथीन मल्व का प्रदर्शन	रु. 7000 (जिसमें रु. 3000 पॉलीथीन मल्व की राशि शामिल है) प्रति हैक्टर अनुदान।
स. आई.पी.एम. प्रदर्शन	फार्मस फील्ड स्कूल पर रु. 22680 प्रति प्रदर्शन।
	सरसों : द्राईकोडर्मा, नीम 1500 क्राईसोपर्ला नीम 1500 अधिकतम रु.930 प्रति हैक्टर।
	मूंगफली : द्राईकोडर्मा, क्राइसोपर्ला, एन. पी. व्ही.-एस.एल. ट्रेप+ल्योर, नीम 1500, एन.पी.व्ही.-एस.एल.ल्योर, बी.टी. पर अधिकतम रु. 1627.50 प्रति हैक्टर।
	सोयाबीन : द्राईकोडर्मा, एन.पी.व्ही.-एस.एल.ल्योर, ट्रेप+ल्योर, नीम 1500, ल्योर पर अधिकतम राशि रु. 428 प्रति हैक्टर।
	चना : द्राईकोडर्मा ट्रेप+ल्योर, नीम 1500, ल्योर एन.पी.व्ही., ल्योर बी.

टी. अधिकतम राशि रू. 747.50 प्रति हैक्टर।

अरहर:

ट्राईकोडर्मा नीम 1500, ट्रेप+ल्योर, एन.वी.व्ही. बी.टी. ल्योर
अधिकतम राशि रू. 1140 प्रति हैक्टर।

सूरजमुखी :

ट्राईकोडर्मा, एन.पी.व्ही.बी.टी. अधिकतम राशि रू. 1230 प्रति
हैक्टर।

मक्का :

ट्राईकोडर्मा, क्राईसोपर्ला बी.टी. राशि रू.1480 प्रति हैक्टर।
कीमत का 50 प्रतिशत या रू.500 , जो भी कम हो।

पौध संरक्षण औषधि

पौध संरक्षण यंत्र

अ. हस्त/बैल चलित

ब. शक्ति चलित

नींदानाशक दवा

कल्चर

न्यूक्लियर पॉलीहिड्रोसिस

वायरस (एन.पी.व्ही. .)

जिप्सम/पायराइट/

डोलोमट वितरण

कीमत का 50 प्रतिशत या रू.800 प्रति यंत्र, जो भी कम हो।

कीमत का 50 प्रतिशत या रू.2000प्रति यंत्र जो भी कम हो।

कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 500प्रति हैक्टर, जो भी कम हो।

कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 50 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो।

कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 250 प्रति हैक्टर।

कीमत का 50 प्रतिशत (सामग्री तथा परिवहन सहित)या रू.
500 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो।

स्प्रिंकलर सेट वितरण

अ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु-सीमांत/
महिला कृषक को कीमत का 50 प्रतिशत या रू. 5500 प्रति
सेट, जो भी कम हो।

ब. अन्य श्रेणी के कृषकों को कीमत का 33 प्रतिशत या
रू. 3650 प्रति सेट , जो भी कम हो।

कृषक प्रशिक्षण

50 कृषकों के समूह को दो दिवसीय प्रशिक्षण हेतु राशि
रू.15000 प्रति प्रशिक्षण।

**सिंचाई स्रोत से खेत तक पानी
की सुविधा हेतु पाइप लाइन हेतु**

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु-सीमांत/ महिला
कृषक को रू. 7200 एवं सामान्य श्रेणी के कृषक को 33
प्रतिशत या रू.4800, 210 मीटर लंबी पाइप लाइन (35 पाइप,
6 मीटर प्रति पाइप 75 मि.मी. व्यास आई.एस.-12786-1989
अथवा आई.एस. 14151-1994) एच.डी.पी.ई. पाइप।

वर्मी कम्पोस्ट

यूनिट का 50 प्रतिशत अथवा रू.800 प्रति यूनिट, जो भी कम
हो।

2. एकीकृत अनाज विकास कार्यक्रम (मोटा अनाज)

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
प्रजनक बीज की खरीदी	बीज की कीमत का 25 प्रतिशत, अधिकतम रू. 2000 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।
बीजोत्पादन पर सहायता	
अ. आधार बीज	प्रजनक से आधार बीज उत्पादन पर रू. 200 प्रति क्विंटल।
ब. प्रमाणित बीज	आधार बीज से प्रमाणित बीज उत्पादन पर रू. 200 प्रति क्विंटल (कृषक के लिये रू.150 तथा संस्था के लिये रू.50)
प्रमाणित बीज वितरण	10 वर्ष के अंदर अधिसूचित उन्नत किस्मों के गेहूँ, जौ, धान, ज्वार, बाजरा, कोदों, कुटकी, रागी बीज पर रू.200 प्रति क्विंटल।
आधार बीज वितरण	10 वर्ष के अंदर अधिसूचित उन्नत किस्मों के गेहूँ, जौ, धान, ज्वार, बाजरा, कोदों, कुटकी, रागी बीज पर रू.200 प्रति क्विंटल।
संकर धान बीज वितरण	कृषकों के संकर धान बीज खरीदने पर रू.500 प्रति क्विंटल अनुदान दिया जाता है।
एकीकृत तत्व प्रबंधन	जिक सल्फेट/जिप्सम/पायराइट उपयोग के लिये कीमत का 25 प्रतिशत या रू. 500 प्रति हैक्टर, जो भी कम हों।
बीजोपचार	
बीजोपचार ड्रम	कीमत का 25 प्रतिशत या रू. 500 प्रति ड्रम, जो भी कम हो।
प्रौद्योगिकी प्रदर्शन	अधिकतम रू. 1000 प्रति प्रदर्शन प्रति एकड़ (0405 हैक्टर)
धान की मेडागास्कर पद्धति का प्रदर्शन	प्रदर्शन के लिये रू. 1000 प्रति एकड़ अनुदान।
स्प्रिंकलर सेट	क. अनुसूचित जाति/जनजाति/लघु एवु सीमांत तथा महिला कृषकों के लिये कीमत का 25 प्रतिशत, अथवा रू. 5500, जो भी कम हो। ख. अन्य कृषकों को कीमत का 25 प्रतिशत अथवा रू.3630, जो भी कम हो।
प्रशिक्षण	क. राज्य स्तरीय कार्यशाला के आयोजन के लिये अधिकतम रू. 50000, प्रति कार्यशाला। ख. विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण के लिये अधिकतम रू. 20000 प्रति प्रशिक्षण (30 प्रशिक्षणार्थी—2 दिवसीय प्रशिक्षण) ग. कृषक प्रशिक्षण के लिये अधिकतम रू. 10000 प्रति प्रशिक्षण (30 कृषक —2 दिवसीय प्रशिक्षण) घ. कृषकों को धान की मेडागास्कर पद्धति के प्रशिक्षण हेतु रू. 10,000 प्रति प्रशिक्षण।
प्रौद्योगिकी हस्तांतरण	
क. कृषक भ्रमण	अधिकतम रू. 50,000, 20 कृषक, 12 दिवसीय, राज्य से बाहर भ्रमण।
ख. कृषि जलवायु क्षेत्र वार इन्टरफेस	रू.20,000 प्रति कृषि जलवायु क्षेत्र।
मेढो पर खेती	अरहर, अरण्डी अथवा तिल के लिये अधिकतम रू.30 प्रति मिनीकिट।

फसल परिवर्तन	ज्वार –बाजरा, उड़द–मूंग, लाबिया–अरहर फसल के लिये रू. 100 प्रति चार किलो मिनीकिट ।
अन्तरवर्ती फसलों को बढ़ावा	उपरोक्त फसलों के अतिरिक्त गेहूँ फसल में सरसों/अलसी/मटर शामिल करते हुए रू.60 प्रति 2 किलो बीज मिनीकिट ।
मेढ़ बनाना	बिना मेढ़ वाले धान के खेतों पर मेढ़ बनाने के लिये कृषकों को रू. 1000 प्रति हैक्टर अनुदान ।
कम्प्यूनिकेशन सपोर्ट	क. मुद्रित सामग्री के लिये अधिकतम रू. 10,000 प्रति कृषि जलवायु क्षेत्र । ख. इलेक्ट्रानिक माध्यम उपयोग के लिये अधिकतम रू.58,000 ।

3. मैक्रोमैनेजमेंट सतत् गन्ना विकास योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र	चुनु गये 26 जिले– भोपाल, सीहोर, बैतूल, राजगढ़, होशंगाबाद, हरदा, मुरैना, श्योपुरकला, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, दतिया, उज्जैन, रतलाम, देवास, इंदौर, धार, खरगौन, खंडवा, बड़वानी, नरसिंहपुर, सागर, छिन्दवाड़ा, टीकमगढ़, छतरपुर और सिवनी ।
अन्तर्वर्तीय फसल	रू.500 प्रति प्रदर्शन (0.5 हैक्टर) आदान सामग्री हेतु ।
गन्ना बीज उपचार सामग्री	बीज उपचार सामग्री का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू. 100 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो ।
जैविक कीट नियंत्रण	जैविक कीट नियंत्रण हेतु खरीदी गई सामग्री का 50 प्रतिशत या अधिकतम रू.125 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो ।
पौध संरक्षण यंत्र	
अ. हस्त चलित	कीमत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू.800 प्रति यंत्र, जो भी कम हो ।
ब. शक्ति चलित	कीमत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू. 2000 प्रति यंत्र, जो भी कम हो ।
जैविक खाद	कीमत का 25 प्रतिशत या अधिकतम रू.75, जो भी कम हो ।
कृषक भ्रमण कार्यक्रम	राज्य के बाहर 12 दिवस तक 20 कृषकों को भ्रमण कराने हेतु रू. 50,000 ।
आधार गन्ना बीज उत्पादन	शासकीय प्रक्षेत्रों/विश्वविद्यालय के प्रक्षेत्रों हेतु रू. 25,000 प्रति

कार्यक्रम	हैक्टर आर्थिक सहायता।
गन्ना बीज प्रगुणन	उत्पादन लागत का 10 प्रतिशत अथवा रू. 2000 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो।
गन्ना बीज अनुदान	1 हैक्टर क्षेत्र में लगने वाले बीज की कीमत का 25 प्रतिशत अथवा रू.2500 प्रति हैक्टर, जो भी कम हो।
बीज परिवहन अनुदान	अ. जिले के अंदर से गन्ना बीज परिवहन करने पर रू. 0.60 प्रति क्विंटल, प्रति किलोमीटर, अधिकतम रू.30 प्रति किलो क्विंटल, जो भी कम हो। ब. जिले के बाहर से गन्ना बीज परिवहन करने पर वास्तविक परिवहन व्यय या अधिकतम रू. 30 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो। स. प्रदेश के बाहर से गन्ना बीज परिवहन करने पर रू. 70 प्रति क्विंटल, या परिवहन की वास्तविक लागत, जो भी कम हो।
स्टाफ प्रशिक्षण	30 प्रसार कार्यकर्ता/कर्मचारी/अधिकारियों के 3 दिवसीय प्रशिक्षण पर रू. 28,000 प्रति प्रशिक्षण।
पौलीबेग कल्चर से विकसित पौधों पर अनुदान	पौलीबेग कल्चर से विकसित पौधों पर रू. 50 प्रति पौधों अनुदान। एक कृषक को अधिकतम 10,000 पौधे लगाने हेतु रू. 5,000 तक अनुदान दिया जावेगा।
जिप्सम का उपयोग	जिप्सम/फास्फो जिप्सम की कीमत का 25 प्रतिशत या रू. 250, से जो भी कम हो।

4. INM

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
नीलहरित काई/कल्चर	नी हरित काई पर 25 प्रतिशत अथवा रू.1000 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।
हरी खाद बीज वितरण	कीमत का 25 प्रतिशत अथवा रू.500 प्रति क्विंटल, जो भी कम हो।
नाडेप फास्फो कम्पोस्टिंग इकाई	प्रति नाडेप/प्रति कृषक 1.5 क्विंटल रॉक फास्फेट के लिये कीमत का 25 प्रतिशत अथवा रू.200, जो भी कम हो।
वर्मी कम्पोस्टिंग इकाई	प्रति इकाई/प्रति कृषक लागत का 25 प्रतिशत अथवा रू. 500, जो भी कम हो।
कृषक प्रशिक्षण	प्रति प्रशिक्षण रू. 6000.

5. सूरजधारा कार्यक्रम

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
बीज की अदला-बदली	कृषक द्वारा दिये गये अलाभकारी फसलों के बीज के बदले में लाभकारी दलहनी/तिलहनी फसलों का उन्नत बीज (1 हैक्टर की सीमा तक)प्रदान किया जावेगा। कृषक को उनके बीज के बराबर उसी फसल का उन्नत बीज (1 हैक्टर सीमा तक) प्रदाय। अन्य फसल का बीज चाहने पर, प्रमाणित बीज के वास्तविक कीमत के 25 प्रतिशत मूल्य का बीज अथवा नगद राशि कृषक को देनी होगी।
बीज स्वावलम्बन	कृषक की धारित कृषि भूमि के 1/10 क्षेत्र के लिये आधार/प्रमाणित
बीज उत्पादन	तिलहनी/दलहनी फसलों के उन्नत किस्मों के बीज उत्पादन के लिये चुने 43 शासकीय प्रक्षेत्रों के 10 किलोमीटर परिधि में अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर (कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र) बीज कार्यक्रम लिया जाएगा। कृषक को आधार/प्रमाणित -1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जाएगा। बीज प्रमाणिकरण के लिये लगने वाला व्यय शासकीय अनुदान के रूप में देय। उत्पादित प्रमाणित बीज का आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को निर्धारित कीमत पर वितरण।

6. अन्नपूर्णा योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र	बीज अदला-बदली एवं बीज स्वावलम्बन कार्यक्रम प्रदेश के सभी जिलों तथा बीज उत्पादन कार्यक्रम हेतु चुने एए 43 शासकीय प्रक्षेत्रों के 10 किलोमीटर की परिधि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लघु/सीमांत कृषकों के लिये क्रियान्वित।
बीज की अदला-बदली	कृषक द्वारा दिये गये अलाभकारी फसल के बदले 1 हैक्टर की सीमा तक अनाज फसलों के उन्नत बीज का प्रदाय। प्रदाय बीज पर 75 प्रतिशत अनुदान ,अधिकतम रू.1500। कृषक के पास बीज उपलब्ध नही होने पर प्रदाय बीज की 25 प्रतिशत राशि नगद ली जाती है।

बीज उत्पादन	चुने गये 43 शासकीय प्रक्षेत्रों के 10 किलोमीटर परिधि में अनुसूचित जाति/जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों के खेतों पर (कम से कम आधा एकड़ क्षेत्र) बीज उत्पादन कार्यक्रम लिया जाएगा। कृषक को आधार/प्रमाणित -1 श्रेणी का बीज 75 प्रतिशत अनुदान पर प्रदाय किया जायेगा। अधिकतम 1 हैक्टर तक अनुदान की पात्रता। बीज प्रमाणीकरण के लिये लगने वाला व्यय शासकीय अनुदान के रूप में देय। उत्पादित प्रमाणित बीज का आगामी वर्ष में अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों को निर्धारित कीमत पर वितरण।
--------------------	--

7. राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
संयंत्र निर्माण पर अनुदान	केंद्र शासन द्वारा हितग्राहियों को 1 से 10 घन मीटर क्षमता के संयंत्र के निर्माण पर निम्नानुसार अनुदान देय है :- अ. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु/सीमांत/भूमिहीन श्रमिकों को रु.2300 प्रति संयंत्र। ब. अन्य कृषकों को रु.1800 प्रति संयंत्र।

8. नलकूप खनन

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
नलकूप खनन	सफल/असफल नलकूप खनन पर अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के लिये लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु.15,000 जो भी कम हो अनुदान देय।
नलकूप पर पंप स्थापना	सफल नलकूप पर पंप स्थापना हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के कृषकों के लिये लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम रु.9000, जो भी कम हो अनुदान देय।

9. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्य प्रदेश
पीमियम अनुदान	परिभाषित क्षेत्र में निर्धारित फसल का बीमा कराने वाले लघु एवं सीमांत कृषकों को बीमा प्रीमियम में 10 प्रतिशत अनुदान।
अधिसूचित फसलें	खरीफ—धान (सिंचित/असिंचित), ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदों, कुटकी, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, अरहर, कपास और केला। रबी —गेहूँ (सिंचित/असिंचित), चना, राई, सरसों, अलसी, प्याज, एवं आलू।

10. परकोलेशन टैंक निर्माण

कार्यक्रम का क्षेत्र	सम्पूर्ण मध्य प्रदेश
परकोलेशन टैंक	लघुत्तम सिंचाई योजना एवं भूजल संवर्धन योजना के अंतर्गत भूमिगत जल वृद्धि के लिये पर कोलेशन टैंक (अधिकतम लागत रु.5 लाख) का निर्माण। यह निर्माण शासकीय भूमि पर शासन व्यय से किये जाते हैं।

11. राष्ट्रीय जलग्रहण क्षेत्र विकास परियोजना

योजना अंतर्गत प्रत्येक विकास खंड में 500 हैक्टर क्षेत्र का एक-एक माइक्रो जलग्रहण क्षेत्र का चयन। इसकी सम्पूर्ण कृषि योग्य, अकृषि योग्य भूमि एवं जल निकास प्रणाली का उपचार वानस्पतिक उपायों द्वारा स्थानीय कृषकों एवं हितग्राहियों की सहभागिता से किया जा रहा है। सभी कार्य स्वीकृत जलग्रहण विकास योजना के अनुसार पूर्णतः शासकीय व्यय से सम्पन्न। चयनित जनग्रहण क्षेत्र के कृषकों की भूमि पर किये जाने वाले कार्यों तथा हितग्राहियों को वित्तीय सुविधा।

12. कृषक प्रशिक्षण

मेक्रोमेनेजमेंट स्कीम के अंतर्गत विभाग द्वारा दिये जाने वाले प्रशिक्षण कृषि विस्तार प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। इसके माध्यम से नई तकनीकी एवं प्रक्रियाओं का व्यवहारिक मार्गदर्शन दिया जाता है। ये प्रशिक्षण किसानों के ज्ञान व कौशल के विकास में अत्यंत सहायक सिद्ध हुए हैं। विभागीय प्रशिक्षण कार्यक्रम हर प्रकार के समूहों के कार्य व आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाये जाते हैं तथा इनकी अवधि का निर्धारण विषय संगत होता है। किसानों के प्रशिक्षण प्रायः विभाग के अपने प्रशिक्षण केंद्रों पर संपन्न होते हैं। इनकी संख्या वर्तमान में 19 है। किसान बंधु, महिला कृषकों, सीमांत कृषकों, भूमिहीन कृषि श्रमिकों आदि के लिये कौशल्य विकास के साथ उन्हें रोजगार मूलक प्रशिक्षणों की व्यवस्था भी विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जा रही है। ये प्रशिक्षण उन्हें निःशुल्क दिये जाते हैं।

13.खेत तालाब योजना

खेत तालाब योजना कृषि के समग्रक विकास के लिए सतही तथा भूमिगत जल की उपलब्धता को समृद्ध करने के लिए तैयार की गई है । खेत तालाब निर्माण के लिए तीन माडल तैयार किए गए है ।

- 1- 15 मी. x 15 मी. x 3 मी. अनुमानित लागत 13400=00 50 प्रतिशत अनुदान 6700=00
 - 2- 21 मी. x 18 मी. x 3 मी. अनुमानित लागत 24200=00 50 प्रतिशत अनुदान 12100=00
 - 3- 23 मी. x 21 मी. x 3 मी. अनुमानित लागत 32700=00 50 प्रतिशत अनुदान 16350=00
- यह योजना सभी वर्ग के लिए प्रारंभ की गई है ।

14. बीज ग्राम योजना

यह योजना कृषकों को बीज के मामले में स्वावलंबी बनाने हेतु शासन द्वारा 50 प्रतिशत अनुदान पर आधार बीज आधा एकड़ के लिये उपलब्ध कराया जाता है । जिससे किसान आगामी वर्ष में स्वयं के बीज के मामले में स्वावलंबी हो सके ।

15. फार्म मेकेनाईजेशन

सभी वर्ग के कृषको को हस्तचलित / बैल चलित / शक्ति चलित कृषि यंत्रों पर 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है ।

C Detailed information

S.N.	Name of the programme	Administrative Department	Year	Amt. Allocated	No of Beneficiaries
1	13-2401-108-0701-927	कृषि विभाग	2006-07	1864000	वित्तीय वर्ष के अन्त तक लाभान्वित कृषको की जानकारी दी जा सकेगी ।
	41-2401-108-0702-1896	कृषि विभाग	2006-07	130000	
	64-2401-108-0703-1107	कृषि विभाग	2006-07	653000	
	15-2401-108-0703-1107	कृषि विभाग	2006-07	210000	
	80-2401-0701-927	कृषि विभाग	2006-07	1010000	
	52-2401-108-0702-1896	कृषि विभाग	2006-07	44000	--
	योग	कृषि विभाग	2006-07	3911000	--
	13-2401-102-0701-921	कृषि विभाग	2006-07	470000	--
	41-2401-102-0702-1918	कृषि विभाग	2006-07	158000	--
	64-2401-102-0703-1918	कृषि विभाग	2006-07	336000	--
	15-2401-102-0703-1918	कृषि विभाग	2006-07	191000	--
	80-2401-102-0701-921	कृषि विभाग	2006-07	311000	--
	52-2401-102-0702-1918	कृषि विभाग	2006-07	15000	--
		कृषि विभाग	2006-07	1542000	--
	13-2401-102-0701-6430	कृषि विभाग	2006-07	565000	--
	41-2401-102-0702-5210	कृषि विभाग	2006-07	55000	--
		कृषि विभाग	2006-07	620000	--

		कृषि विभाग	2006-07	6073000	--
13-2401-0801-9185		कृषि विभाग	2006-07	375000	--
		कृषि विभाग	2006-07	375000	--
13-2401-800-0701-7635		कृषि विभाग	2006-07	350000	--
41-2401-800-0702-7635		कृषि विभाग	2006-07	110000	--
64-2401-800-0703-7635		कृषि विभाग	2006-07	100000	--
		कृषि विभाग	2006-07	560000	--
13-2401-800-0701-7625		कृषि विभाग	2006-07	52000	--
41-2401-800-0702-1580		कृषि विभाग	2006-07	25000	--
64-2401-102-0703-1580		कृषि विभाग	2006-07	15000	--
80-2401-102-0701-1580		कृषि विभाग	2006-07	5000	--
52-2401-102-0702-1580		कृषि विभाग	2006-07	5000	--
15-2401-102-0703-1580		कृषि विभाग	2006-07	2000	--
		कृषि विभाग	2006-07	102000	--
13-2401-800-0701-1580		कृषि विभाग	2006-07	69000	--
41-2401-800-0702-1580		कृषि विभाग	2006-07	22800	--
64-2401-102-0703-1580		कृषि विभाग	2006-07	12000	--
80-2401-102-0701-1580		कृषि विभाग	2006-07	136000	--
52-2401-102-0702-1580		कृषि विभाग	2006-07	44000	--
15-2401-102-0703-1580		कृषि विभाग	2006-07	24600	--
		कृषि विभाग	2006-07	308400	--
64-2401-103-0103-5081		कृषि विभाग	2006-07	300000	--
52-2401-103-0102-5081		कृषि विभाग	2006-07	200000	--
		कृषि विभाग	2006-07	500000	--
41-2401-103-0102-8769		कृषि विभाग	2006-07	200000	--
64-2401-103-0103-8769		कृषि विभाग	2006-07	300000	--
—		कृषि विभाग	2006-07	500000	--
13-2401-800-0701-1580		कृषि विभाग	2006-07	2600000	--
		कृषि विभाग	2006-07	2600000	--
13-2401-800-0701-1580		कृषि विभाग	2006-07	200000	--
		कृषि विभाग	2006-07	50000	--
15-2702-020-103-2791		कृषि विभाग	2006-07	1400000	--
52-2702-101-2791		कृषि विभाग	2006-07	1191000	--
		कृषि विभाग	2006-07	2591000	--
45-4402-800-103-3476		कृषि विभाग	2006-07	4617000	--
64-4402-800-0103-3476		कृषि विभाग	2006-07	1000000	--
		कृषि विभाग	2006-07	5617000	--
41-2401-800-1580		कृषि विभाग	2006-07	0	--
13-2401-800-0701-1580		कृषि विभाग	2006-07	0	--

		कृषि विभाग	2006-07	0	--
	8000-00-10	कृषि विभाग	2006-07	1500000	--
		कृषि विभाग	2006-07	20926400	--

13 List of the recipients and nature of concession U/S 4.1 (b) (xiii)

S.N.	Nature of concession	Name	Address	Year	Kind of support	Approximate value of Concession
1						
2						

नोट :- जिले में संचालित योजनाओं के विभिन्न घटकों से लाभान्वित हित ग्राहियों की जानकारी के लिये विकास खंडों के वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है।

14 Information available in the office (link with Item 6) U/S 4.1 (b) (xiv)

S.N.	Categories	Hard Copy	Electronic Form
1	-	-	-
2			

नोट:- कार्यालय में अभिलेखों की सूची जिनका संधारण कार्यालय में किया गया है, उसकी सूची पंजी के रूप में कार्यालय में संधारित कर ए.पी.आई.ओ. के पास उपलब्ध है।

15 Facility available (library, public counter etc) to citizen for information U/S 4.1 (b) (xv)

S.N.	Facility	Name of In-charge	Duration of opening (time to be given)	Contact No. Telephone No.
p.i.o.	ए.पी.आई.ओ. का काउन्टर	श्री सी.एस.हाड़ा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	2:30 से 4:00	07372-255059

16 Information about the PIO/Designation /Working experience U/S 4.1 (b) (xvi)

- Name श्री सी.एस.हाड़ा

- Designation वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी
- Tel.No 255059
- e mail address अप्राप्त
- place of Work and Address कार्यालय उप संचालक कृषि विभाग राजगढ़
Contact hours for public 2:30 to 4:00 P.M.

17 Any other information in citizen related facilities U/S 4.1 (b) (xvii)

उर्वरक शाखा की जानकारी
जिले में पंजीकृत उर्वरक विक्रेताओ की जानकारी

विकास खण्ड	31-3-2006 तक वैध	21-3-2007 तक वैध	21-3-2008 तक वैध	योग
खिलचीपुर	18	10	8	36
राजगढ़	15	19	7	41
जीरापुर	17	27	11	55
सारंगपुर	47	25	20	92
नरसिंहगढ़	40	35	18	93
ब्यावरा	28	16	27	71
	165	132	91	388

उर्वरक शाखा की जानकारी

जिले में पंजीकृत कीटनाशी विक्रेताओ की जानकारी

विकास खण्ड	31-3-2006 तक वैध	21-3-2007 तक वैध	21-3-2008 तक वैध	योग
खिलचीपुर	4	19	1	24
राजगढ़	7	6	—	13
जीरापुर	22	5	—	27
सारंगपुर	37	1	5	43
नरसिंहगढ़	98	26	—	115
ब्यावरा	24	10	—	34
	192	67	6	256

उर्वरक शाखा की जानकारी

जिले में पंजीकृत बीज विक्रेताओं की जानकारी

विकास खण्ड	31-3-2006 तक वैध	21-3-2007 तक वैध	21-3-2008 तक वैध	योग
खिलचीपुर	5	5	—	
राजगढ़	—	2	—	
जीरापुर	3	1	2	
सारंगपुर	4	4	1	
नरसिंहगढ़	3	1	1	
ब्यावरा	1	1	1	

कीटनाशी अधिनियम 1968

कीटनाशी अधिनियम की संक्षिप्त रूपरेखा :-

केन्द्रीय शासन ने वर्ष 1968 में इन्सेक्टीसाईड एक्ट 1968 लागू किया इस अधिनियम की धारा 3 (1) एवं (11) के अनुसार शेड्यूल में दी गई जानकारी कीटनाशी औषधी के अलावा फंजीसाईड तथा वीडो साईड भी शामिल हैं।

एक्ट की धारा 35 के अन्तर्गत राज्य शासन की कीटनाशी औषधि नियंत्रण नियम बनाने के अधिकार दिये। तदनुसार कीटनाशी नियम 1971 बनाया गया।

केन्द्रीय शासन के भारत का राजपत्र (असाधारण) 20 मई 1999 द्वारा कीटनाशी (संशोधन) नियम 1999 जारी किय गया जिसमें घरेलू प्रयोजनों के लिये सामान्य उपयोग में लाए जाने वाले कीटनाशी भी शामिल है।

2. रजिस्ट्रेशन एवं लायसेंस की व्यवस्था :-

कोई भी व्यक्ति कीटनाशी औषधि निर्माण हेतु प्रारूप कं.

3 में अनुज्ञापित अधिकारी से अनुज्ञापति प्राप्त कर सकता है।